



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 20 दिवस के कारावास व ₹1200 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 125/1995 धारा-25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरिप्रसाद उर्फ भूरा पुत्र बाबूराम कुम्हार नि० बिरखेरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 20 दिवस के कारावास व ₹1200 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री अमर
जायसवाल



विवेचक-
उ०नि० श्री सी०पी०
सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० श्रीकान्त राजपूत